Date: 23-09-2023

## **FIRE SAFETY CERTIFICATE**

No. UPFS/2023/95995/CHN/CHANDAULI/738/CFO

Certified that the <u>ST. JOSEPH SCHOOL</u> (name of the building or premises) at <u>ST. JOSEPH SCHOOL CHAHANIA, CHANDAULI</u> (address) comprised of <u>NA</u> basement(s) and <u>GROUND + 2</u> (upper floors) owned/ occupied by <u>ST. JOSEPH SCHOOL</u> (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on <u>25-09-2023</u> (date of inspection) in the presence of <u>MRS. ARTI JHA & CHAHANIA, CHANDAULI</u> (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy Upto classes <u>XII (</u> X/ XII) With effect from <u>25-09-2023</u> for a period of <u>03 YEARS</u> in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1. The school building operates on the ground floor, first floor and second floor.
- 2. The school building height is 10 meters.
- 3. at the time of inspection on ground floor 15 room, on 1st floor 15 rooms, and found 15 rooms on second floor.
- 4. There is Hosereel system on each floor of the school building.

Issued on <u>25-09-2023</u> (Date of issue) at <u>CHAHANIA,CHANDAULI</u> (place) by \*Strike out whichever is not applicable.

To

ST. JOSEPH SCHOOL (70287).

CHAHANIA, CHANDAULI U.P.

(Name & Address of the Institution)

## **ENDORSEMENT**

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to \_\_\_\_\_\_(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

<sup>\*</sup> The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/95995/CHN/CHANDAULI/738/CFO

दिनांक: 23-09-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-09-2023

स्थान : CHANDAULI

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ST JOSEPH SCHOOL पता ARAZI NO- 104 K KH,BHAGWANPUR CHAHANIA,CHANDAULI तहसील -SAKALDIHA प्लाट एरिया 9507.52 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3609.34 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	<b>ऊँचा</b> ई
ST JOSEPH SCHOOL	3	0	10.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स ST JOSEPH SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरों के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 25-09-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ARTI JHA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 25-09-2023 से 24-09-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स ST JOSEPH SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स ST JOSEPH SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note: आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भवन वर्ष 2019 में निर्मित है। 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए। 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है। 3- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मी रखना अनिवार्य है। 5-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मी रखना अनिवार्य है। 5-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मी रखना अनिवार्य है। 5-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अनुपलब्ध एवं अकार्यशील पाये जाने पर एन0ओ0सी0 निरस्त समझी जायेगी। 6- नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 व शासनादेश संख्या- 18/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनाँक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अमिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है | इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा | यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है | "



(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

KUMAR RAMASHANKAR TIWARI

E8AAC1D4A51B53CA9D13F3DD7F4E9B511A8D6FB5 25-09-2023

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.